No

संख्या–1315/26–3–2011–10(36)/2008–टी0सी0

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–80 में मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–09–12/स0क0/लेखा–बजट/2011–12, दिनांक 5–4–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–" के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूरे वर्ष के खर्चो को वहन करने के लिए रू0 1,27,45,000/– (रूपया एक करोड़ सत्ताईस लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2011–2012 में पूरे वर्ष के लिए है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था/किसान पेंशन को छोड़कर अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण चार त्रैमासिक किस्तों में किया जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त (आय– व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस– 2011– 231/2011, दिनांक 21–3–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का

rk go

आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0–13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 बी–1–901/दस– 2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा–निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–1315(1)/26–3–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4–वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5–निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
6–सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
7–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

rk go

शासनादेश सं0–1315/26–3–2011–10(36)/08–टी0सी0,दिनांक 11 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

अनुदान संख्या–80 आयोजनागत (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक/योजना/ मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2011–2012
राजस्व लेखा	
2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पछड़े वर्गो का कल्याण– आयोजनागत–	
01– अनुसूचित जातियों का कल्याण–	
001– निदेशन तथा प्रशासन–	
04–मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान–	
01–वेतन	
03–मॅहगाई भत्ता	2550
04–यात्रा व्यय	1352
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	35
06–अन्य भत्ते	50
07–मानदेय	393
08–कार्यालय व्यय	1
09–विद्युत देय	280
10–जलकर/जलप्रभार	100
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
13–टेलीफोन पर व्यय	316
14–मोटरगाड़ियों का क्रय	200
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1350
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	80
17–किराया, उपशुल्क और करस्वामित्व	50
42–अन्य व्यय	25
45–अवकाश यात्रा व्यय	10
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50
49–चिकित्सा व्यय	20
51–वर्दी व्यय	50
योग–04	5
	7067
05–जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	
01–वेतन	
03–मॅहगाई भत्ता	2462
04–यात्रा व्यय	1305
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	60
06–अन्य भत्ते	50
07–मानदेय	295
	1

rk go

08–कार्यालय व्यय	300
09–विद्युत देय	30
10–जलकर / जलप्रभार	10
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	80
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	368
13–टेलीफोन पर व्यय	30
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	240
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	60
17–किराया,उपशुल्क और करस्वामित्व	50
26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	80
42–अन्य व्यय	30
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50
45–अवकाश यात्रा व्यय	50
49–चिकित्सा व्यय	125
51–वर्दी व्यय	2
योग–05–	5678
योग–001	**12745**

(रूपये एक करोड़ सत्ताईस लाख पैंतालिस हजार मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

rk go